प्र. राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की नीतियों में जो बजट में प्रावधान किये गए हैं, उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उ. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004-05 से 2014-15 के बीच राजनैतिक पार्टियों को कुल प्राप्त चंदे का लगभग 70% अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ है। अतः इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनैतिक दलों को मिलने वाले चन्दे के नियमन की आवश्यकता है।

बजट में किये गये प्रावधान :-

→ कोई भी दल ₹2000 से अधिक नकद चंदा नहीं ले सकता।

→ दलों को चेक या डिजिटल माध्यम में कितना भी चंदा लेने की छूट होगी।

→ RBI अधिनियम में संशोधन द्वारा चुनावी बांड की व्यवस्था।

समीक्षा:-

→ बजट में ₹2000 से अधिक चन्दा नकद नहीं लेने की बात कही गई है किन्तु इस बारे में चुनाव आयोग को सूचना देना अनिवार्य नहीं है। अतः इससे चन्दा देने वालों के नाम उजागर नहीं होंगे। जो अपारदर्शिता की स्थिति को यथावत रखेगा।

→ चुनावी बांड केवल धारक बांड होंगे अर्थात् जिसके पास से बांड होंगे उसी के माने जायेंगे। इससे भी चंदा देने वालों की जानकारी गोपनीय ही रहेगी। यहां तक कि इन बांडों के बारे में न तो चुनाव आयोग को जानकारी देने की अनिवार्यता है और न ही आयकर विभाग को

~~~~अतः इस प्रकार~~~~

अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार पारदर्शिता एवं गोपनीयता को पूरक मानती है जबकि ये दोनों भिन्न हैं। नकद की सीमा को घटाने मात्र से काले धन की समस्या का समाधान नहीं होगा। हालांकि वर्षों से लंबित मुद्दे में सरकार के प्रयासों ने उम्मीद की किरण दिखाई है किन्तु यह अभी बहुत थोड़ी है।
~~~~

यदि राजनीति में शुचिता सुनिश्चित करनी है, तो न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के साथ चुनाव आयोग को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा।

Critically analyse the rising number of road accidents in India & Provide comprehensive measure to solve this crisis?

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सूचना के मुताबिक वर्ष 2015 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.46 लाख लोगों की मृत्यु हुई तथा करीब तीन लाख लोग घायल हुये। इसके अलावा विश्व भर की सड़क दुर्घटनाओं में अकेले भारत 10% हिस्सा का भागीदार है तथा इन हादसों में मरने वाले अधिकतर नौजवान, साक्षर तथा शहरी हैं। भारत में सड़क हादसों के जो आँकड़े काफी चिन्ताजनक है।

भारत में सड़क हादसे के होने के कई कारण है जो अग्रलिखित है

→ अधिकतर दुर्घटनाएं वाहन चालकों की लापरवाही तथा ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से होती है

→ अधिकतम सीमा से वाहन चलाना, हेलमेट का प्रयोग ना करना, नशे का प्रयोग करना तथा वाहन चलाना

→ सड़कों में तकनीकि खामी, नगर की खराब व्यवस्था का ना होना। यातायात संकेतों को सही ढंग से ना लगाना।

→ एक ही सड़क लेन पर, एक साथ विभिन्न वाहनों का प्रयोग करना।

→ तकनीकी खराबी भी एक बहुत बड़ी वजह है तथा खराब होने के बावजूद वाहनों का प्रयोग करना।

→ इसके अलावा, अयोग्यों को भी आसानी से Driving license मिल जाता है

उपरोक्त कारणों से भारत में सड़क हादसे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं तथा इसमें विभिन्न प्रकार के आवश्यक सुधार व संभावनायें किये जा सकते हैं जो निम्न रूप से वर्णित है

→ सर्वप्रथम जनता को जागरूक करना चाहिए तथा इन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए की सावधानीपूर्वक वाहन चलाने से कोई हानि नहीं हो सकती है

GENERAL STUDIES HINDI

→ ट्रैफिक संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक तथा अधिक सजा का निर्धारण करना चाहिए।

→ सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने हेतु अलग-2 लेनों को तैयार किया जाना चाहिए तथा संकुचित स्थान सड़कों व्यवस्था को अंजाम देना चाहिए।

→ Driving Licence (DL) देने की system को कड़ा करना चाहिए तथा केवल योग्य व प्रशिक्षित चालकों को ही DL देना चाहिए

→ निर्धारित अंतराल पर विभिन्न प्रकार के Road safety कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियान चलाते रहना चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI

महात्मा गाँधी के सात पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए।

गाँधी जी न तो राजनीतिज्ञ थे और न ही कोई दार्शनिक किन्तु उनके द्वारा दिये गये विचार शाश्वत्य हैं। कोटो ने विचार उनके प्रज्ञा करण की उद्धृत हुये।

गाँधी द्वारा बताये गये सात पाप :-

1. बिना सिद्धान्तों के राजनीति :- गाँधी जी ने बिना सिद्धान्तों की राजनीति को तुच्छ बताकर इससे परहेज की बात की। वर्तमान संदर्भ में ऐसी ही तुच्छ राजनीति देखने को मिल रही है जो वोट की खातिर राष्ट्र-हित को भी नजरअंदाज कर देते हैं।

2. बिना नैतिकता के व्यापार :- गाँधीजी ने अनैतिक व्यापार को गलत बताया। तस्करी, मानव दुर्व्यापार, टैक्स चोरी आदि को इसी अवधारणा के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

3. बिना चरित्र के ज्ञान :- चरित्रहीन व्यक्ति अज्ञानी होता है। विवेकानन्द ने भी कहा था कि ज्ञान से सद् विचार आते हैं। उच्च पदों पर आसीन नौकरशाहों द्वारा भ्रष्टाचार करना उनके चरित्रहीन होने का प्रमाण है।

4. बिना मानवता के विज्ञान :- गाँधी जी के अनुसार सभी जीवों के प्रति दयाभाव रखना चाहिए किन्तु विज्ञान के प्रयोगों में जीव हत्या होती है। साथ ही विज्ञान का सदुपयोग मानव सभ्यता का विकास करने में सहायक है किन्तु इसका दुरुपयोग विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है।

5. बिना अंतःकरण के आराम :- गाँधी के अनुसार यदि लोगों का शोषण करके आराम किये जाये तो वह पाप है।

6. बिना काम के धन :- यह विचार वर्तमान में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर कर सकता है। एक ओर अफ्रीका में भूख से ग्रसित लोग हैं तो दूसरी तरफ विकसित देशों में लोगों के पास अकूत धन सम्पदा जो बिना काम (useless) है।

⑦ बिना बलिदान के पूजा (धर्म)

बिना बलिदान के हम मंदिर में सक्रिय हो सकते हैं किन्तु इसके बिना धर्म का समझौता व हटाये सामाजिक कार्यों का निर्वाह नहीं कर सकते।

GENERAL STUDIES HINDI

Recent Mergers of bank although a good move but we need cautions too. Critically comment.

हाल ही में कैबिनेट ने तथा SBI के द्वारा अन्य पाँच सहायक बैंकों के विलय की स्वीकृति दी गई है। विलय के बाद करीब 37 लाख करोड़ की संपत्ति (assets) के साथ व आधार पर SBI दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो जायेगी तथा SBI की मौजूदगी 36 देशों में तथा 50 करोड़ से भी अधिक ग्राहक होंगे। SBI का NPA में भी करीब 8.7% की [illegible] कटौती हो जायेगी व एवं Basel-3 के मानदंडों को पूरा करने में भी बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत महसूस की जा रही है अतः विलय एक जरूरी आवश्यक विकल्प बन गया है।

परंतु विलय के पश्चात बहुत सारी कमियाँ तथा सीमाएं कठिनाइयों में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो विलय के बाद [illegible] हैं।

→ सर्वप्रथम अन्य सहायक बैंकों के कर्मचारी स्वतंत्र बैंक के रूप में विरोध कर रहे हैं तथा वे स्वतंत्र रहने की इच्छा रखते हैं। साथ ही करीब करीब 27,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी [illegible] तथा अन्य कार्यालय विभिन्न वेतन, सुविधाओं तथा समायोजित [illegible] संबंधित अनियमितताओं का [illegible] होगी। व्यवस्थित करने की आवश्यकता

→ इसके अलावा सभी सहयोगी बैंकों के कोषों को [illegible] विलय की प्रक्रिया भी विलय किया जाएगा नहीं जाकर का लाभ लिया जा सकता है।

→ ऑडिट प्रक्रिया और कार्यप्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सामंजस्यस्थापक होने को भी सुनिश्चित करना होगा तभी यह [illegible] रूप से कार्य कर सकेगी।

→ दूसरी तरफ राजनीतिक हस्तक्षेप से भी इस बैंक को दूर करना होगा ताकि यह बैंक व्यावसायिक तरह से अपने कार्यों का परिचालन कर सके।

→ NPA के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अन्य लोकलुभावन वादों को दरकिनार करना होगा ताकि बैंक अपने पूरे सामर्थ्य से कार्य कर सकें

अंततः SBI में अन्य सहयोगी बैंकों का विलय एक सार्थक कदम साबित हो सकता है तथा कोषों को मिलाने से इसकी परिसम्पत्ति और अधिक हो जायेगी परन्तु इसका नियमन Audit तथा ग्राहकों को भी पूर्ण सुविधा देने वाली यह कदम सराहनीय माना जा सकता है।

GENERAL STUDIES HINDI

Critically examine the functioning of WTO & what are the reforms that must be brought in it to make it a relevant body in the current context of global economy?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना 1995 में हुई तथा इसने 1947 के GATT को प्रतिस्थापित किया है। WTO का मुख्य उद्देश्य इसके सदस्य देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित नियम-विनियमों द्वारा संचालित ढंग से व्यापार के साथ हो तथा कोई वाद-विवाद होने पर उसका त्वरित व उचित समाधान कर सके।

परंतु WTO की स्थापना वर्ष के बाद WTO के कार्यप्रणाली को लेकर जो विवाद है वह काफी विकसित देशों के पक्ष में हठधर्मिता तथा मुख्यतः विकसित देशों के पक्ष में WTO मुख्यतः इसकी ... रही है, ~~विकसित~~ सहमति से निर्णय लेता है परंतु निर्णय के काम सहमति से प्रतीत होता है कि यह मुख्यतः ताकतों के पक्ष में ही रहा हो उदाहरण:- विकसित देशों के पक्ष

→ विकासशील देशों के अनुसार, विकसित देशों का अपनी नीति कृषि तथा IPR इत्यादि बिन्दुओं पर ही थोपते हैं तथा Dispute resolution Mechanism भी मुख्यतः विकसित देशों के पक्ष में ही रहता है।

→ विकसित देशों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि विकासशील देश खाद्य पर सब्सिडी समाप्त करनी चाहिये क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता के तहत व्यापार बाधित होता है जबकि विकासशील देशों द्वारा अपनी जनता को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना इनका दायित्व है। यद्यपि हाल ही में नैरोबी बैठक में Peace Clause के तहत Food stock holding को एक समय तक लागू किया जाता है एवं उस पर कोई विवाद नहीं किया जाता है।

→ Agreement on Trade facilitation को विकसित देश विकासशील देशों पर थोपना चाहते हैं जबकि विकासशील देशों के पास तकनीकी क्षमता के अभाव के कारण संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी की काफी कमी है।

→ विकसित देशों द्वारा e-commerce की स्थापना के लिए काफी ज्यादा दबाव डाला जा रहा है जबकि भारत, जिसे इंटरनेट की काफी अधिक आवश्यकता है और भी ज्यादा पिछड़ा है क्योंकि पूरे विश्व में इंटरनेट का औसत प्रसार 43%, तथा अल्प विकसित देशों के लिए लगभग 12.4% तथा अन्य ज्ञात वाले नगर में लोगों लगभग 94% है अतः इतनी e-commerce को पूर्ण रूप से लागू करना काफी challenging है।

→ IPR, भी developed country के पक्ष में है जबकि विकासशील देशों द्वारा इसके liberalisation लाने की मांग है।

वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी तथा विभिन्न प्रकार के आतंकवाद व जलवायु परिवर्तन को देखते हुए WTO को अपनी कार्यविधि में बदलाव लाना चाहिए ताकि यह विकासशील देशों के हित में हो।

→ WTO को अपना दायरा बढ़ाना चाहिये तथा इसे विदेश नीति व जलवायु परिवर्तन का परिप्रेक्ष्य भी विकासशील देशों के समक्ष रखना चाहिए।

→ Dispute resolution की प्रक्रिया में सुधार लाकर तथा विकासशील देशों के वर्तमान हालात पर ध्यान रखकर निर्णय लेना चाहिए।

"Agriculture increasingly becoming disincentive & we need to take urgent action to reverse this trend." Critically analyse the statement

भारत में किसानों की औसत आय महीने के हिसाब से केवल ₹6426 है तथा उनकी औसत व्यय महीने के हिसाब से ₹6223 है ऐसा स्थिति, जहां बचत के लिए बहुत ही कम मात्रा होती है। इसके अलावा भारत में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है जो चिंता एवं ... NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में 2165 सीमांत किसान तथा 8007 किसानों ने आत्महत्या किया है। जो ये दिखाता है या इसके पीछे प्रभाव दिखता है। ... क्यों लगती है कि दिन-दिन आत्महत्या करने वाले स्थिति में आ रही है इसे माना जाता कि कृषि से विमुख होते जा रहे हो.

कृषि की उपरोक्त बदहाल स्थिति में सुधार करने हेतु तथा उनकी आय को दुगुना करने के लिए कृषकों की हाल के बजट में प्रस्ताव रखा गया है। कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधार करने हेतु M-S Swaminathan को रिपोर्ट दिया था तथा उन्होंने भी बताया की किसान के आय के वृद्धि के लिए उनके फसलों पर high return देना होगा

→ farmer commission (2004) के Report में कहा की उत्पादन लागत + 50% of cost को न्यूनतम समर्थन मूल्य करके किसानों को मिलना चाहिए।

→ हाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो की कृषक वर्ग को काफी राहत प्रदान करने वाला है को 30% से बढ़ाकर 40% का लक्ष्य रखा गया है जो की सराहनीय कार्य है

→ खाद्य प्रसंस्करण तथा भण्डारण गोदामों व कोल्ड-स्टोरेज को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिनसे भी भण्डारण को भी बढ़ावा हो तथा इन फसलों की बर्बादी न हो तथा इन फसलों को प्रसंस्करण करके माल उत्पाद में परिवर्तित करके बाजार में उतारना चाहिए ताकि अधिक आय की प्राप्ति किसानों को हो सके।

→ कीट नियंत्रण को उन्नत करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा शोध व रिसर्च करना चाहिए, जिससे की कम खर्च पर ही अधिक लाभ की प्राप्ति हो जैसे संकर बीज, मिट्टी का परीक्षण, कीटनाशक के लिए उपयुक्त दवाई इत्यादि।

→ कृषि कार्य में लगभग 50% महिलाओं की भागीदारी है परंतु जमीन मुख्यतः पुरुषों के नाम होता है अतः महिलाओं को ऋण नहीं मिल पाता है इसका भी निराकरण करना चाहिए तथा महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर जमीन होनी चाहिए।

→ इसके अलावा contract farming, APMC में Reform तथा e-मंडी, cooperative farming को भी विकसित तथा उन्नत करना चाहिए ताकि कृषि कार्य को अधिक से अधिक व्यावसायिक व आकर्षित बनाया जा सके।

उपरोक्त सुधारों की कृषि कार्य में बढ़ावा देने से किसानों की स्थिति व आय में काफी सुधार लाया जा सकता है तथा अन्न दाता को अपनी मेहनत का उचित लाभ प्राप्त करने का सपना तथा हक को पूरा किया जा सकता है।

पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने भारत में लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया है परंतु ये इतने निर्णायक नहीं हैं जिनसे इसे एक मुकाम मिले तथा लोक या लोकतंत्र की इस भावना को ज़मीन पर ला सकें।

भारत का संविधान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य चेक बैलेंस तथा पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा लोकतंत्र या जनतंत्र के सिद्धांत पर ... होना। लोकतंत्र के लिये इन तीनों में परस्पर समांजस्य होना लोकतंत्र के विकास के लिये अति आवश्यक है किन्तु पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की भूमिका काफी सक्रिय तथा हस्तक्षेपकारी रही है।

न्यायपालिका द्वारा PIL (Public Interest Litigation) का प्रयोग करके व SIL (Special interest Litigation) का प्रयोग कर दिया है, जिसने पूरे जनतंत्र को जागरूकता प्रदान कर दिया है। जनता भी सर्वोच्च न्यायालय/HC का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित कर सकती है। उदाहरण: इंदिरा साहनी निर्णय में 27% आरक्षण को मुख्यतः (creamy) class में अपना निर्णय दिया था तथा आरक्षण पर 10 वर्ष के बाद पुनः ध्यान देने की आवश्यकता के दर्शन कराए थे। अतः दिल्ली एवं पुनः हाल में अधिकार देने ... को लेकर भी न्यायपालिका ने जनता को मजबूती प्रदान किया। वहीं PIL/SIL ने जनता को मजबूती प्रदान किया तथा जनतंत्र को Judicial Activism की ओर ले गया तथा न्यायपालिका की overactivism या आलोचना के चलते जो कार्य सरकार को करने थे उस कार्य को [illegible] नहीं किया जा रहा था। उदाहरणतः प्रदूषण को रोकने के लिए SC/HC ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु SC ने पार्किंग चार्ज, ग्रीन-सेस को लागू करने, डीजल पुरानी गाड़ी हटाने का निर्देश तथा [illegible] निर्णय दिया, जिनसे भी प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा [illegible] परियोजना, [illegible] पर रोक लगाना, [illegible] SC के प्रशासन तथा सरकार के कार्य में दखल देना [illegible] शामिल कर लिया।

परंतु न्यायालय के उपरोक्त सकारात्मक कार्यों को देखते हुए इसे सराहनीय माना जा सकता है परंतु स्वयं न्यायालय अपने कार्य को प्रभावी कर दे नहीं [illegible] भी रही है जैसे

→ न्यायालय में केसों की लंबित संख्या 3 करोड़ से अधिक है एवं लोगों को न्याय देने में 10-12 साल लग जाते हैं जिससे 'न्याय में देरी / Delay in justice is itself injustice' तथा विचाराधीन Trials के अंदर रहना जाता है उन्हें बाद में सजा असफल होने के फैसला सुना दिया जाता।

→ जजों की नियुक्ति को लेकर भी पारदर्शिता व 'accountability' है।

→ केसों लड़ने की फीस अधिक है अतः गरीब व कमजोर के लिए वैसे ही न्याय दूर हो जाती है।

→ RTI, न्यायालय के Functioning नहीं लागू होती।

→ न्यायालय में प्रशासन पारदर्शिता व जवाबदेही का अभाव है।

→ न्यायालय के विरुद्ध बोल जाने या इसके दुरुपयोग की बात कहने पर 'न्यायालय की अवमानना' का सामना करना होता है। हाल के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू को फेसबुक पर इन्हीं पोस्ट के देने के लिए कहा गया।

अतः उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि न्यायालय में भी accountability की अति आवश्यकता है तथा एक रचनात्मक सुधार लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI

Q "पाप से घृणा करो-पापी से नहीं।" इसका वर्तमान समाज में क्या महत्व है।

⇒ इस कथन से तात्पर्य है कि कोई भी अपराधी को उसके अपराध के लिए क्षमा कर नई शुरुआत का मौका देना चाहिए ताकि वह अपराधी प्रवृत्ति को त्यागकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सके।

गाँधी जी के अनुसार भी कार्य तथा आत्मा दोनों अलग-अलग हैं अतः दोनों को एक ही रूप से नहीं परखना चाहिए। वर्तमान समय में इस विचार का बहुत महत्व दिखाई देता है।

आज विश्व आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त है। चूंकि मध्य एशिया की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने आतंकवाद को जन्म दिया किन्तु, इसका किसी धर्म से जुड़े होने के कारण अपराधियों के साथ निरपराध को भी घृणा का पात्र बनना पड़ता है। जैसे- आज विश्व इस्लाम मानने वाले हर व्यक्ति को आतंकवादी समझता है जबकि घृणा आतंकवादियों से की जानी चाहिए न कि धर्म से।

इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध अनजाने में हो जाये किन्तु, वह अपने अपराध को कबूल करने के साथ उस अपराध से अधिक मानव सेवा का कार्य करता हो, तो उसे गलती सुधारने का मौका दिया जाये किन्तु अपराध संगीन नहीं हो।

यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो ये उसके माता-पिता तथा शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उससे घृणा न करें बल्कि ऐसे कार्य के लिए प्रोत्साहित करें जिससे वह सफल हो सके। अन्यथा उसे पढ़ाई न करने का पापी बनाया जाता तो वह अवसाद-नकारात्मकता का शिकार हो सकता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धायुक्त युग में बाल-अपराधों के बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण यही है।

GENERAL STUDIES HINDI

वर्तमान में भ्रष्टाचार युक्त राजनीति में लोग सभी को एकसमान भ्रष्ट मानकर मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं जबकि लोकतंत्र का अपमान करके वे इसे दोषी समझते हैं। इसी प्रकार प्रशासन में कुछ लोगों के भ्रष्ट होने पर सारे तंत्र को ही भ्रष्ट मान लेते हैं जो लोकतंत्र एवं देश दोनों के विकास के लिए हानिकारक है। अर्थात् इस तंत्र से पाप (भ्रष्टाचार) दूर करने की जरूरत है, तंत्र को दूर करने की नहीं।

किन्तु इस कथन का संकीर्ण अर्थ निकालने वाले इसे अपने अपराधों को नजरअंदाज करने के उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इससे इंसान की गलती सुधारने की बजाय उसे अपनी आदत बना लेता है।

GENERAL STUDIES HINDI

जैविक खेती की भारतीय कृषि को बदलने में क्या संभावनाएँ मौजूद हैं और वर्षा के अतिरिक्त अधिकतर कृषि किसान जैविक खेती को बढ़ाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? (250 words)

जैविक खेती के अन्तर्गत कृषि और पशुपालन बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से की जाती है, जिससे वायुमंडल और पृथ्वी का संतुलन बना रहता है तथा पारिस्थितिकी सही ढंग से कार्य करती है। भारतीय कृषि में जैविक खेती के द्वारा अच्छी संभावना है क्योंकि अधिकतर भारत के भौगोलिक प्रदेश मैदानी क्षेत्र में तथा कृषि पर भारत की अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है इसलिए कृषि को स्वास्थ्यवर्धक बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

आज जहाँ विश्व में रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध कीटनाशक तथा अन्य रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है जो कि मिट्टी की उर्वरता तथा जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभा रहा है, वहाँ भारत जैविक खेती को केन्द्रबिन्दु बनाकर पूरे विश्व में अपना मार्गदर्शक बन सकता है। हाल में सिक्किम को भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य घोषित किया गया है तथा हरित क्रान्ति पर (eg.) पंजाब व हरियाणा में रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक और नाशक का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरता में कमी भी आ रही है। अतः जैविक कृषि को अपनाकर मिट्टी का स्वास्थ्य, फसलों में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से मानव में होने वाले अन्य रोग, दूषित वातावरण तथा भविष्य में होने वाले sustainability (धारणीयता) को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि भारत की प्राथमिक रोजगार है अतः इससे अधिकांश जनसंख्या को रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि में भी सहायता किया जा सकता है।

हालाँकि भारत में अधिकतम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बाद में होने लगा परंतु प्राचीन काल से भारत में जैविक खेती द्वारा परम्परागत कृषि किसान करते रहे हैं। जैसे की खेत में सूखे पत्ते, गोबर को खाद के प्रयोग में लाना, पशुपालन के मूत्र के जरिये भूमि मिट्टी में नाइट्रोजन शामिल करना, खेतों की जुताई करके

कोशिकाओं द्वारा पानी को बनाये रखना, खेत में जल का चक्रीकरण करते रहना, बीजों को बचाकर रखना जो भी अगले उपज काम आता था, कृत्रिम खादों का प्रयोग में ना लाना इत्यादि।

परम्परागत कृषि विकास की योजना भी यही है परंतु कृषि की आधुनिकता के दौर के साथ प्रतिस्पर्धा ना करना भी आवश्यक है क्योंकि रसायनिक उत्पादन का प्रमुख साधन है जिसे मानव जाति उपभोग करते हैं एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से दिनों-दिन इसमें गिरावट भी आ रही है। अतः जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खेती भी जुताई, बुवाई, कटाई वाली मशीन से करना, रासायनिक खादों के प्रयोग को रोकना तथा वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना भी अति आवश्यक है, जिससे की हमारे आने वाले नस्ल की पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण, अच्छी मिट्टी तथा जल व वायु प्रदान किया जा सके।

जैविक कृषि तथा वैज्ञानिकता एवं आधुनिकता के मिलन से कृषि व्यवस्था में सुधार कर वातावरण तथा पारिस्थितिकी को भी संतुलित रखना अति आवश्यक है।

GENERAL STUDIES HINDI

राज्य लोक सेवा आयोगों का जनतंत्र में महत्त्व क्या है? तमिलनाडु विवाद के बाद क्या आपको लगता है कि इन संवैधानिक संस्थाओं में कुछ सुधार लाए जाए ताकि ये हमारे जनतंत्र के महत्त्वपूर्ण प्रहरी बने रहें।

भारत में संघ तथा राज्यों में लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा की पूर्ति कर्मठ लोक सेवकों द्वारा की जाती है। जो संघ या राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त होते हैं। लोक सेवा आयोग कुशल, ईमानदार, कर्तव्यपरायण, निष्पक्ष, संवेदनशील, कर्मठ, निष्ठावान लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है। यदि ये आयोग उपयुक्त व्यक्ति को चयनित नहीं कर पाता है, तो वास्तविक अर्थों में जनतंत्र का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। ये आयोग सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करते हैं। जनतंत्र नीति-निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन कर्मियों की नियुक्ति ये आयोग ही करते हैं। अतः जनतंत्र को सफल बनाने में ये आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तमिलनाडु में हाल ही में एक ही दिन में ग्यारह सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग में करना-पूर्ण निर्णय कर दी। इसमें सरकार ने 10वीं पास तक लोगों को भी नियुक्त कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक 10वीं पास व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण व उपयुक्त व्यक्ति का चयन नौकरशाही में किस तरह से कर सकता है। वह व्यक्ति किसी ब्यूरोक्रेट की बहुआयामी, दूरगामी सोच व व्यक्तित्व का निर्धारण तथा परीक्षण नहीं कर सकता है। उसके लिए लम्बे अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता होती है। एक तमिलनाडु एकमात्र मामला नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है कि कम अनुभवी तथा राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्ति को ऊँचे ओहदे पर तैनात कर दिया जाता है। उसके द्वारा चयनित उम्मीदवार किस प्रकार के हो सकते हैं कल्पना भी नहीं कर सकते। जो जनतांत्रिक भावना के बिल्कुल विपरीत है।

इस प्रकार के मामलों से सबक लेते हुए हमें इसमें अनेक सुधार लाने होंगे, जिससे जनतंत्र का विकास हो तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक प्रणाली का लाभ मिले।

इसके लिए ~~केन्द्र सरकार~~ संसद को संविधान में संशोधन कर

आयोगों के नियुक्त संबंधी प्रावधान करने होंगे।

→ सरकारों को अनुभवी लोगों की एक समिति का गठन कर आयोग के सदस्यों का चयन करना चाहिए।

→ चयन से पूर्व सदस्यों के सामाजिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि का पता लगाना चाहिए।

→ सदस्यों को सार्वजनिक क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

→ राजनैतिक प्रयोजन से नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए।

→ आयोग के अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से चयन पूर्व सलाह लेनी चाहिए।

→ सदस्य चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष हो।

→ सदस्यों की सेवाकाल अवधि अधिकतम 6 वर्ष ही होनी चाहिए।

→ किसी अनुचित गतिविधि (भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी) पर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

इस प्रकार यदि लोक सेवा आयोग में साफ-छवि, निष्पक्ष अनुभवी व्यक्ति होंगे वे GENERAL व्यक्ति लोक सेवा में चयनित होंगे, जो लोकहित की अधिक निष्ठा से सेवा कर पायेंगे।

— देराजराम चौधरी